कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1827/699/आउशि/सम./2025 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21/7/25

प्रति,

कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ
प्राचार्य
समस्त महाविद्यालय छत्तीसगढ

विषय :– **शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विशेष रुप से पिछडी जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित सीट में से दो प्रतिशत तक सीट आरक्षित किये जाने विषयक।**

संदर्भ :– छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का अधिसूचना क्रमांक एफ 13–8/2012/आ.प्र./2–3 नवा रायपुर दिनांक 18.06.2020।

*****

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। उक्त पत्र में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष रुप से पिछडी जनजातियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

D:\PRAVEEN LETTER 2025\Letter 2025.docx

CamScanner

पंजी क्रमांक 91/TL
दिनांक 2/9/2020
चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय

(1)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

क्रमांक एफ 13–8 / 2012 / आ.प्र. / 1–3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18/6/2020

प्रति

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी / मछली पालन / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / तकनीकी शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

अ.मु.स./चि.शि. TL-98
दिनांक 2/09/2020

02-9-20

विषयः– शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित सीट में से दो प्रतिशत तक सीट आरक्षित किए जाने बाबत्।

संदर्भ – इस विभाग का समसंख्यक निर्देश दिनांक 11.11.2019

कृपया इस विभाग के संदर्भित निर्देश का अवलोकन करें। संदर्भित निर्देश में यह लेख किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 27.8.2019 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा क्रमांक–4 के बिन्दु क्रमांक (2) में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा आई.टी.आई., कृषि, मत्स्य, स्वास्थ्य, पॉलिटेक्निक आदि में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट में से दो प्रतिशत तक सीट विशेष रूप से कमजोर जनजाति वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी जाए। इस संवर्ग के आवेदन अप्राप्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति संवर्ग से भरे जायेंगे। उक्त प्रावधान को वार्षिक रखा जावे।

2/ इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि संदर्भित निर्देश के संबध में जनजाति सलाहकार परिषद् का आशय यह था कि राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह की जनसंख्या लगभग 02 प्रतिशत हैं। अतः इस अनुपात में उनके लिये 02 प्रतिशत का विशेष आरक्षण दिया जाये। वर्तमान में प्रश्नाधीन पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिये 32 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। अतः लिये गये निर्णय अनुसार 30 प्रतिशत सीटें अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिये तथा 02 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों के लिये होंगी तथा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के आवेदन अप्राप्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति संवर्ग से उक्त सीटें भरी जायेगी।

3/ कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण अनुसार आपके विभाग के अधीनस्थ शैक्षणिक संस्थाओं में लिए गए निर्णय का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

17/6/20
(याकुब खेस्स)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

T.L.
22/2/2020
1/9/2020

क्रमशः 2

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

क्रमांक: 2886/आर–1598/2023/पचपन, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 07 AUG 2023

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

विषयः– छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 के संबंध में।
संदर्भः– आपका पत्र क्रं. 7857/छात्र/काउंसलिंग/संचिशि/2023, दिनांक 07.08.2023।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में आपके द्वारा चाही गई अनुमति/मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रवेश वर्ष 2023 में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3, दिनांक 07.08.2023 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था (कुल 58%– 12% अनुसूचित जाति, 30% अनुसूचित जनजाति, 02% विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, 14% अन्य पिछड़ा वर्ग) के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(जनक कुमार)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रं.: 2887/आर–1598/2023/पचपन, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 07 AUG 2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

CamScanner